

समाहरणालय, गोड्डा

(जिला भू-अर्जन शाखा)

समाजिक प्रभाव का मूल्यांकन (एस0 आई0 ए0) की अधिसूचना

(देखें नियम 6 का उप-नियम (1))

- (i) परियोजना का नाम-- कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, गोड्डा प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण-- गोड्डा बाईपास पथ निर्माण और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार-- (1) बेलडीहा नं0- 341, (2) बड़हारा नं0- 342, (3) बंशीपुर नं0- 344, (4) बलिया नं0- 346, (5) मोलनाकित्ता नं0- 347, (6) चन्द्रपुर नं0- 361, (7) पडरिया नं0- 362, (8) पांचकाठी नं0- 363, (9) बैशाडी नं0- 366, (10) मछीया सिमरडा उर्फ लालपुर नं0- 369, (11) दीयारा नं0- 370, (12) चिलौना नं0- 381, (13) रूपियामा नं0- 506, (14) मरुआवरण नं0- 507, (15) कौडीबहियार घाट नं0- 509, (16) कौडीबहियार माल नं0- 510, (17) पैरडीह नं0- 511, (18) गोडीघाट नं0- 513, (19) जमुआ सीट- 2 नं0- 516, (20) जमुआ, सीट- 1 नं0- 516, (21) कुमरनघाट नं0- 517, (22) पुनसिया नं0- 521, (23) कुमरडीह नं0- 522, (24) मुरलीडीहकित्ता नं0- 523, (25) पाण्डुबथान नं0- 524, (26) सरकंडा नं0- 525, (27) पथरा नं0- 526, (28) जैयपुर नं0- 370/576, कुल रकवा- 212.135 एकड़ सभी मौजा अंचल गोड्डा परियोजना क्षेत्र और एस0 आई0 ए0 द्वारा आच्छादित प्रभावित क्षेत्र-- गोड्डा अंचल अंतर्गत।

- (ii) एस0 आई0 ए0 के प्रमुख उद्देश्य और मुख्य क्रियाकलाप निम्नप्रकार होगी :-

समाजिक प्रभाव का मूल्यांकन (एस0 आई0 ए0) समिति सोशल एक्शन फोर रुरल डवलवमेंट (शारदा), छोटकी मुरम, रामगढ़ द्वारा प्रस्तुत Detail Term of Reference के सभी शर्तों उपायुक्त, गोड्डा के पत्रांक- 01/भूअ0 दिनांक- 02.01.2017 द्वारा निर्गत निदेश तथा झारखंड भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम- 2015 के नियामावली 10 अधिनियम के अंतर्गत दिये गये सभी दायित्वों को पूर्ण कराने की जिम्मेवारी होगी। मुख्य रूप से निम्न कार्रवाई अपेक्षित है।

(क) प्रस्तावित परियोजना, जिसमें अर्जित की जानेवाली भूमि तथा क्षेत्र जो पर्यावरण, सामाजिक अथवा परियोजना के अन्य प्रभावों से प्रभावित होगी,

(ख) परियोजना के लिए अर्जित की जानेवाली प्रस्तावित भूमि का क्षेत्र और अवस्थिति,

(ग) अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि अपेक्षित का केवल न्यूनतम है,

(घ) परियोजना के लिए संभावित वैकल्पिक स्थल और उसकी साध्यता,

(ङ) क्या अर्जित किए जाने के लिए प्रस्तावित भूमि सिंचित बहु-फसली भूमि है और यदि ऐसी है तो क्या अर्जन प्रदर्शनीय अंतिम अभिगम है,

- (च) भूमि, यदि कोई हो, जो पहले से खरीदी गई, अन्यसंक्रांत, पट्टाकृत अथवा अर्जित हो और परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि के हरेक प्लॉट के लिए उपयोग नियत हो,
- (छ) परियोजना के लिए किसी सार्वजनिक अनुपयोगी भूमि के उपयोग की संभावना है।
- (ज) भूमि की प्रकृति, भूमि का वर्तमान उपयोग और वर्गीकरण और यदि यह कृषि भूमि है तो उक्त भूमि के लिए सिंचाई का आच्छादन तथा फसलों का पैटर्न,
- (झ) प्रस्तावित भूमि अर्जन में खाद्य सुरक्षा पालन करने की बावत विशेष उपबंध,
- (ञ) धृतियों का आकर, स्वामित्व पैटर्न, भूमि-वितरण, आवासीय घरों की संख्या निजी एवं सार्वजनिक आधारभूत संरचना तथा परिसंपत्तियों,
- (ट) भूमि का मूल्य और स्वामित्व में नया परिवर्तन, अंतरण तथा पिछले तीन वर्षों में भूमि का उपयोग

इसी प्रक्रिया के साथ-साथ रैयतों के भू-अर्जन के प्रस्ताव व सहमति की कार्रवाई की जानी है।

(iii) एस0 आई0 ए0 के लिए टाईमलाईन निम्नप्रकार होगी :-

- (क) अर्जनाधीन क्षेत्र का दौरा एवं रैयतों से सम्पर्क स्थापित करना।
- (ख) परियोजना से प्रभावित एवं विस्थापित होने वाली परिवारों को सूचीबद्ध करना।
- (ग) समाजिक प्रभाव का मूल्यांकन (एस0 आई0 ए0) प्रतिवेदन एवं एस0 आई0 एम0 पी0 पर रैयती की सुनवाई।
- (घ) एस0 आई0 ए0 एवं एस0 आई0 एम0 पी0 प्रतिवेदन समर्पित करना तथा प्रभावित परिवारों की सहमति प्रक्रिया।
- (ङ) एस0 आई0 ए0 से संबंधित अंतिम प्रतिवेदन।

उपरोक्त टाईम लाईन अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से गणना की जायेगी।

(iv) इस अवधि के दौरान प्रपीड़न अथवा भय उत्पन्न करने की कोई कोशिश हुई है तो यह इसे अकृत और शून्य कर देगा। एस0 आई0 ए0 इकाई की सम्पर्क सूचना निम्नप्राकर है :-

श्री शिशिर कुमार, स्टेट हेड, मोबाईल नं0- 9468928837

अपर समाहर्ता, गोड्डा, दूरभाष नं0- 8294873800

आम जनों को किसी भी तहत की समस्या होने पर उपरोक्त दूरभाष नं0 पर सम्पर्क अथवा कार्यालय में लिखित आवेदन दे सकते हैं।


उपायुक्त
गोड्डा

ज्ञापांक59...../भू0अ0 दिनांक :- 10/01/2017 ।

प्रतिलिपि :- निदेशक, भू-अर्जन, झारखंड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, गोड्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को वेबसाइट पर प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे।


उपायुक्त,
गोड्डा।
10.1.17

ज्ञापांक59...../भू0अ0 दिनांक :- 10/01/2017 ।

प्रतिलिपि :- जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी, गोड्डा को प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इस अधिसूचना का प्रकाशन यथा शीघ्र दो दैनिक हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्रों में कराने की कृपा की जाय।


उपायुक्त,
गोड्डा।
10.1.17

ज्ञापांक59...../भू0अ0 दिनांक :- 10/01/2017 ।

प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, गोड्डा/सभी मुखियागण/संबंधित ग्राम पंचायत सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उक्त मौजा के सहज दृश्य स्थलों पर आम नोटिस के रूप में चिपकाना सुनिश्चित करावें।


उपायुक्त,
गोड्डा।
10.1.17

ज्ञापांक59...../भू0अ0 दिनांक :- 10/01/2017 ।

प्रतिलिपि :- अपर समाहर्ता, गोड्डा/अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा/भूमि सुधार उपसमाहर्ता, गोड्डा/प्रबंध निदेशक-सह-सचिव, सोशल एक्शन फोर रूरल डवलवमेंट (शारदा), छोटकी मुरम, रामगढ़/अधियावी पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, गोड्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


उपायुक्त,
गोड्डा।
10.1.17